



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फ़ैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फ़ैक्स

क्र०- छग०/दुर्ग/चू०प०-51/रायपुर

खान कोड: 38 छ०ग० 05020

दिनांक:- 06/08/2019

प्रति,

मेसर्स के० बी० लाल श्रीवास्तव एण्ड सन्स, पट्टेदार
वास्ते श्री संजय श्रीवास्तव,
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
दुर्ग (छ.ग.)-491001

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी मेडेसरा चूनापत्थर खदान 12.850 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01/07/2019 को श्री संजय श्रीवास्तव, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from approved Review of Mining Plan vide letter no. DRG/LST/MPLN-1084/NGP-14-Raipur Dated 12/07/2013 for the period of 2016-17 to 2020-21: Development: There was a proposal given for development and excavation of mineral/ore During F.Y. 2018-19: (1) N140 to N215 and E015 to E185 (2) N082 to N213 and E250 to E467 (3) N340 to N425 and E213 to E460 Whereas, in addition to the proposed area, development and production of mineral has been done in between local co-ordinates N215 to N335 and E235 to E490.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2018-19.
Rule 27 (1)	Financial Year 2018-19: It has been found that as per approved Review of Mining Plan, 12.04 Ha lease area has been considered for calculation of Financial Assurance up to the end of the review period whereas, 12.85 Ha. lease area has been utilized till the end of F.Y. 2018-19. Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 0.81 Ha. lease area has to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer.
Rule 45 (7)	Annual Return 2017-18 and 2018-19: Part I: Annual Return for the Financial Year 2018-19 has been scrutinized; it has been found that an area of 12.85 Ha. has been shown as abandoned opencast mining, whereas, no part of the lease is abandoned. Moreover total area degraded is exceeding from the area for which Financial Assurance given. Part VII: Cost of Production: Incorrect cost of production has been reported in the annual returns as only royalty part has been considered for calculation. All the applicable part should be calculated for computation of cost of production per metric tonne.
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Manager (Mines) and Agent (Mines) have not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.

कृ०पृ०प०.2.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर